

16.7.19

पत्रावली पेश की वारी स्वयं तथा वकील  
वारी को कवाज लगाई गई। बार-बार  
कवाज लगे के उपरान्त भी न्यायालय  
हाजिरी नहीं होते थे वारी का वाद  
काम हाजिरी काम खैरती के खारिज  
किया जाता है।

पत्रावली जफत युमाद होकर नम्वर  
के काम के पासिल करवा दी।

  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़